

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

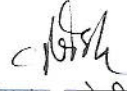
क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/17806-10

दिनांक:- 18 नवम्बर, 2013

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या 16/2013-14 दिनांक 09.04.2013 में क.सं. 01 पर अंकित श्री नरेन्द्र कुमार स्वामी पुत्र श्री बाबूराम स्वामी, आई/283, नई सिविल लाईन, मिनी सचिवालय, हनुमानगढ़ जंक्शन जिला हनुमानगढ़ (मेरिट नं. 07/2011, रोल नं. 302002, जन्मतिथि 02.02.1970) को लेखाकार के पद पर नियुक्ति दी जाकर जिला कलेक्टर (ई-गवर्नेन्स) जिला बाडमेर में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु श्री नरेन्द्र स्वामी ने निर्धारित अवधि में अपने नियुक्ति/पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया।

निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं किए जाने के कारण श्री नरेन्द्र कुमार स्वामी पुत्र श्री बाबूराम स्वामी (मेरिट नं. 07/2011) का विभाग के आदेश संख्या 16/2013-14 दिनांक 09.04.2013 में क.सं. 01 से जारी नियुक्ति आदेश एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।


(वीरबाला जोशी)

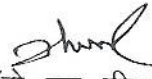
निदेशक,
कोष एवं लेखा विभाग

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/17806-10

दिनांक:- 18 नवम्बर, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3. जिला-कलेक्टर (ई-गवर्नेन्स) जिला बाडमेर
4. श्री नरेन्द्र कुमार स्वामी पुत्र श्री बाबूराम स्वामी, आई/283, नई सिविल लाईन, मिनी सचिवालय, हनुमानगढ़ जंक्शन जिला हनुमानगढ़ -335512 (रजिस्टर्ड)
5. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
6. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
7. गोपनीय शाखा
8. रक्षित पंजिका/निजी पत्रावली


(कै. एम. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)
कोष एवं लेखा विभाग